

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11062/ 5343

दिनांक :- 06/03/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रक्षा यादव [लिंक न. 11062] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दूद, जयपुर - [23163] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 19/12/2018 से 23/12/2018 तक 5 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 26/12/2018 से 29/12/2018 तक 4 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 02/01/2019 से 10/01/2019 तक 9 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 15/01/2019 से 17/01/2019 तक 3 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 21 दिवस

उक्त कुल 21 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रक्षा यादव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11062/ 5343

दिनांक :- 06/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दूद, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रक्षा यादव [11062] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दूद, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)